संख्या : 1313 / IV(1)/2009–39(सा.) / 2006–टी.सी.

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2009

विषय :कुम्भ मेला, 2010 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आगामी कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधाओ के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत संलग्न बी.एम.–15 में अंकित विवरणानुसार रू. 8000लाख (रू. अस्सी करोड़ मात्र) की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त निवर्तन पर रखी गई धनराशि का वित्तीय वर्ष 2009–10 की शेष अवधि में आहरण एवं व्यय शासन स्तर से विभिन्न कार्यों हेतु पृथक–पृथक स्वीकृतियां निर्गत होने पर ही किया जाएगा।

2. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों एवं मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। साथ ही धनराशि का व्यय संबंधित स्वीकृतियों एवं इस शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

3. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 व उसके संबंध में समय–समय पर निर्गत दिशानिर्देशों एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. उक्तानुसार आवंटित धनराशि किसी अन्य मद में व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाएगा।

5. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार दिनांक 31.3.2010 तक समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के 'अनुदान संख्या–13' के 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07 –हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधा" के अन्तर्गत मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा तथा पुनर्विनियोजन संलग्न प्रपत्र बी.एम.–15 के स्तम्भ–1 की बचतों से किया जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 558/XXVII(2)/2009 दिनां 30सितम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : प्रपत्र बी.एम.–15।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या : 1313 (1)/IV(1)/2008 तददिनांक। 30/9/09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ वि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव।

प्रपत्र – बी.एम. – 15
(पैरा – 158)

नियन्त्रक अधिकारी – सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।

वित्तीय वर्ष 2009-10
प्रशासनिक विभाग – शहरी विकास
अनुदान संख्या – 13
(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधानित लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक, जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (कॉलम 1 में अवशेष)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
अनुदान संख्या–13–आयोजनागत 1–"2217–शहरी विकास 03–छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता 97–वाह्य सहायतित योजना 01–नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण 42–अन्य व्यय 1209600	0	409600	800000 (ख)	अनुदान संख्या–13–आयोजनागत "2217–शहरी विकास 80–सामान्य 800–अन्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 07–हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधा 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता 800000(क)	1800000	409600	(क) आगामी हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के रूप में रू. [illegible] अवमुक्त किए गये हैं। जबकि वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय–व्ययक में रू. 100[illegible] की बजट व्यवस्था है। (ख) कुम्भ मेला, 2010 से संबंधित कार्य समयबद्ध एवं तात्कालिकता के हैं जबकि अनुपूरक माग से व्यवस्था किए जाने में अभी काफी समय लगने की सम्भावना है। अतएव अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के सुसंगत धनराशि रू. 80करोड़ की व्यवस्था उक्तानुसार पुनर्विनियोजन के माध्यम से की जानी आवश्यक है।
योग 1209600	0	409600	800000	800000	1800000	409600	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुवल के परिच्छेद–150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(अनूप वधावन)
सचिव

क्रमशः...

उत्तराखण्ड शासन,
वित्त अनुभाग–2
संख्या : 558 / XXVII(2) / 2009
देहरादून : 30सितम्बर, 2009

पुनर्विनियोग स्वीकृत,

(डॉ. एम.सी. जोशी)
अपर सचिव, वित्त।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

संख्या–1313 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक। 30/9/09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मेलाधिकारी, हरिद्वार।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
3. वित्त अनुभाग–2

(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव,
शहरी विकास।